भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-224

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

पीएम पोषण के अंतर्गत रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय

†224. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के अंतर्गत सरकार द्वारा रसोइया-सह-सहायक को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2009 से मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य रसोइया-सह-सहायकों को अतिरिक्त मानदेय प्रदान करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी-कितनी अतिरिक्त मानदेय राशि प्रदान की जाती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की साझेदारी से कार्यान्वित किया जाता है। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ रसोइया-सह-सहायकों (सीसीएच) की नियुक्ति सहित योजना के सुचारू संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। रसोइए-सह-सहायक मानद कार्यकर्ता होते हैं जो सामाज सेवा करने के उद्देश्य से आगे आते हैं। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रसोइए-सह-सहायक को उनकी सेवाओं के महत्व को समझते हुए एक वर्ष में 10 माह के लिए 1000/- रुपये प्रति माह का मानदेय निर्धारित किया गया है और इसे जारी रखा जा रहा है। इस मानदेय व्यय को केंद्र सरकार और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अनुमोदित शेयरिंग पैटर्न के अनुसार साझा किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त निधियां प्रदान करके मानदेय की पूर्ति करते हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराकर मानदेय बढ़ाने की स्वतंत्रता है। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत रसोइए-सह-सहायक के मासिक मानदेय का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

माननीय संसाद सदस्य श्री श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा 'पीएम पोषण के अंतर्गत रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

<u>रसोइया-सह-सहायक को प्रतिमाह मानदेय</u>

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीसीएच का प्रति माह मानदेय (रुपये में)	सीसीएच का प्रति माह अतिरिक्त मानदेय (रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	3000	2000
2	अरुणाचल प्रदेश	2000	1000
3	असम	1500	500
4	बिहार	1650	650
5	छत्तीसगढ	1500	500
6	गोवा	1000	-
7	गुजरात	2500	1500
8	हरियाणा	7000	6000
9	हिमाचल प्रदेश	3500	2500
10	झारखंड	2000	1000
11	कर्नाटक	3700	2700
12	केरल	12000	11000
13	मध्य प्रदेश	2000	1000
14	महाराष्ट्र	1500	500
15	मणिपुर	1000	-
16	मेघालय	1000	-
17	मिजोरम	1500	500
18	नागालैंड	1000	-
19	ओडिशा	1400	400
20	पंजाब	3000	2000
21	राजस्थान	1742	742
22	सिक्किम	1000	-
23	तमिलनाडु	4100-12500	3100-11500
24	तेलंगाना	3000	2000
25	त्रिपुरा	2500	1500
26	उत्तर प्रदेश	2000	1000
27	उत्तराखंड	3000	2000
28	पश्चिम बंगाल	1500	500
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1000	-
30	चंडीगढ़	3300	2300
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4408	3408
32	दिल्ली	1000	-
33	जम्मू और कश्मीर	1000	-
34	लद्दाख	1000	-
35	लक्षद्वीप	1000	-
36	पुदुचेरी	10000	9000